

(१२२)

प्रति,

म०प्र० राज्य मण्डल म०प्र० गवालियर सर्किट कोटी रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्र० 2012



R-1229-II/12

रुपचन्द्र
०पुरुष शुभाण सौनी तनय स्व०श्री लद्मीचन्द्र निवासी ग्रामहनुमना,
अमहा वा सुदेव तह० हनुमना जिला रीवा म०प्र० ---- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- भगवानदा स तनय महावीर कैशरवानो निवासी ग्राम अमहा वा सुदेव
तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र०

2- शा सन म०प्र०

गैरनिगरानीकरण

प्रार्थना-पत्र निगरानी विरुद्ध आदेश अपर

कर्तृ रोवा दिनांक 20-4-09 पारित निगरानी

प्रकरण क्र० 19अ/74/2005-06 अन्तर्गत धारा 50

म०प्र० मूराजस्व संहि ता सन 1959ईस्वी।

मान्यवर,

प्रार्थना-पत्र : निगरानी : के आधार नीचेलिखेनुसार है:-

1- यहकि मूमि खसरा क्र० 240 रकवा ०-४६० एवम् 242 रकवा ०-४७५०

स्थित ग्राम अमहा वा सुदेव के शा स्कीय पटटेदार छोटू तनय सुहू व

दुखोरा पूर्ण साहू की पूर्व मे कीकियाजाना लैख है। इन मूमियाँ

के उक्त पटटेदारों के बनारस चलेजानेपरआ वैदक कैपिता लद्मोचन्द्र का विज

हुये और कब्जा के आधार पर प्रकरण क्र० 34 मे पारित आदेश दिनांक

3-4-58 कैपटटेदार लद्मोचन्द्र तनय गुरुदत्त को दर्ज करने का आदेश

दिया गया, जिस आदेश को प्रकरण क्र० 14अ/6अ/71-72 मे अतिरिक्त तह०

-2

संग्रहीत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामूला क्र0-R.1229-II / 12

जिला-रीवा

रूपचन्द्र सोनी/भगवानदास केशरवानी

(1)	(2)	(3)
14.03.18	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> 	 <p>सदस्य</p>